Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में रिश्वत प्रकरणरू एवीवीएनएल के कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी के विरुद्ध एसीबी द्वारा सीकर न्यायालय में चालान पेश।**

जयपुर, 17 अप्रैल, 2026। परिवादी के प्रधानमंत्री सुर्य घर योजना के तहत सोलर मीटर जारी करने के ऐवज में आरोपी **श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बस्सी, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर** द्वारा परिवादी से 2500/– रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था। प्राप्त शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, चौकी सीकर द्वारा दिनांक 11.11.2025 को सत्यापन के दौरान आरोपी श्री संदीप द्विवेदी द्वारा 2500/– रूपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 12.11.2025 को आरोपी श्री संदीप द्विवेदी को परिवादी से 2500/– रूपये रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 300/2025 दर्ज किया गया।

प्रकरण का अनुसंधान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, चौकी झुंझुनूं द्वारा किया गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोपी श्री संदीप द्विवेदी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आज दिनांक 17.04.2026 को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सीकर में चालान पेश किया गया।